सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 01, बुधवार, *शाके* 1945-अगस्त 23, 2023

Bhadra 01, Wednesday , Saka 1945- August 23, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 17, 2023

संख्या प.31(2)गृह-9/2022 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार इसके द्वारा राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दो महीने की समाप्ति पर उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2032 तक की अवधि के लिए 127 वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, सतराना, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु नीचे बताये सम्पूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विर्निदिष्ट भाग में चांदमारी तथा तोपखाने का अभ्यास अधिकृत करने हेतु एक विज्ञप्ति जारी करने का अपना आशय विज्ञापित करती है।

क्षेत्र का विवरण

चक 14 एमडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 82/24 के किला नं. 1/1 की 0.228, 2 ता 9 की 2.024, 10/1 की 0.228, 11/1 की 0.228, 12 ता 19 की 2.024, 20/2 की 0.228, 21/2 की 0.202, 22/2 की 0.228, 23/1 की 0.228, 24/2 की 0.228, 25/2 की 0.228 कुल 6.074 है. कमाण्ड/अ.क. रकबा में से किला नं. 12/0.221, 13/0.159, 14/0.047, 17/0.079, 18 की 0.094, 19/0.032 कुल 0.632 है. रकबा।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।